

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका सं० -15/औ०-01-42/2025 -...../स्वा० पटना/दिनांक -

श्रीमती हर्षिता हर्ष, औषधि निरीक्षक, बक्सर-03 द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.01.2026 से दिनांक-29.06.2026 तक कुल-180 दिन उपभोगित/उपभोग किये जाने वाली अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 15/औ०-01-42/2025 -...159(LSA)/स्वा० पटना/दिनांक - 10/02/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप औषधि नियंत्रक, पटना प्रमंडल, पटना/सहायक औषधि नियंत्रक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती हर्षिता हर्ष, औषधि निरीक्षक, बक्सर-03 के अवकाश अवधि में उन्हें आवंटित कार्य क्षेत्र का प्रभार श्री मनोज कुमार दास, औषधि निरीक्षक बक्सर-02 को आवंटित किया जाता है। श्रीमती हर्ष एवं श्री दास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
98